पटना, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकार ने वर्ग चार के कर्मियों को राहत देने वाला बड़ा फैसला किया है। बिना परीक्षा पास किये इन्हें वरीयता के आधार पर लिपिक बनाया जायेगा। शर्त यह कि मैट्रिक पास होना जरूरी है। अब तक परीक्षा के आधार ही लिपिक में प्रोन्नति का प्रावधान था। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है।सचिव का काम संभाल रहे सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इससे बड़ी संख्या में वर्ग चार के लोगों को राहत मिलेगी।